विधान सभा आम निर्वाचन, 2015

समाहरणालय जहानाबाद

(जिला निर्वाचन शाखा)

आदेश

आसन्न विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के सुचारू रूप से संचालन हेतु जिला स्तर पर कोषांगों का गठन, विभिन्न कोषांगो के लिए नोडल पदाधिकारियों/अन्य पदाधिकारियों एवं कोषांग के वरीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है। कोषांगों के नोडल पदाधिकारी, कोषांग में प्रतिनियुक्त अन्य पदाधिकारी एवं कोषांग के वरीय पदाधिकारी भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के बेवसाइट eci.nic.in एवं ceobihar.nic.in पर कोषांग से संबंधित निर्देश से पूर्णतः अवगत हो लेगें ताकि कोषांग के प्रबंधन/संचालन में कोई कठिनाई नहीं हो एवं ससमय कार्यो का त्वरित निष्पादन आयोग के दिशा निदेश के अनुसार पूरा कर सकें। विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के सफल संचालन हेतु यह आवश्यक है कि सभी कोषांग एक दूसरे के साथ एकबद्ध होकर समन्वय स्थापित रखते हुए निष्पादन करें। कोषांग के दायित्वों का विवरणी गठित कोषांगवार दिया गया है। आयोग के विभिन्न निदेशों, अधोहस्ताक्षरी द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले निदेशों को ध्यान में रखकर कोषांग के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगें। नोडल पदाधिकारी, अविलम्ब कोषांग के अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कोषांग के दायित्वों से अवगत करा देगे। कोषांग में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मियों की आवश्कता का आकलन कर कोषांग के वरीय पदाधिकारी के अनुशंसा के साथ कोषांग में प्रतिनियुक्त हेतु जिला स्थापना उपसमाहर्ता, जहानाबाद से अनुरोध पत्र देगें।

1. कार्मिक प्रबंधन कोषांग

कार्मिक प्रबंधन कोषांग के वरीय प्रभारी पदाधिकारी के रूप में उप विकास आयुक्त, जहानाबाद को नियुक्त किया जाता है।

कोषांग के नोडल पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	कोषांग के अन्य पदाधिकारियों का नाम एवं पदनाम	कोषांग से संबद्ध लिपिक एवं अन्य कर्मियों का नाम एवं पदनाम
1. श्री रविभूषण, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद मो.–8544367993, 9122410194	1. श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, जहानाबाद मो.–9431662899 2. श्री सर्वेश कुमार, सहायक, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, जहानाबाद मो.– 9570464899 3. श्री बिजुली राम, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जहानाबाद मो– 8544411391 4. श्री केवल कांत झा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा साक्षरता, जहानाबाद मो– 9934724006	कोषांग के नोडल पदाधिकारी कार्मिक कोषांग से अधियाचना कर कोषांग के लिए तृतीय वर्ग के कर्मी एवं कार्यालय परिचारी की प्रतिनियुक्ति हेतु अनुरोध करेंगें।